

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

दिनांक - 13.06.2022

क्रमांक-रीडर/2021/1383

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 भीमाराम पुत्र धन्नाराम
जाति जाट निवासी नांद
तहसील व जिला बाड़मेर।


1 करनाराम पुत्र धन्नाराम 2 वीराराम 3 वगताराम 4
अर्जुनाराम 5 सोनाराम पिसरान धूडाराम 6 करनाराम पुत्र
चिमाराम 7 मूलाराम 8 भोमाराम 9 सोनाराम 10 धर्मन्द्र
उर्फ धर्माराम पिसरान गोमाराम जाति जाट निवासी नांद
तहसील व जिला बाड़मेर 11 तहसीलदार बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 91/2022

दिनांक-

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा नांद पटवार क्षेत्र नांद तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 729/621 रकबा 135.04 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर
बाड़मेर

दिनांक- 13.06.2022

क्रमांक :- रीडर/2021/1384-1387

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी नांद तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. भीमाराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी नांद तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी करनाराम पुत्र धन्नाराम वगैरह जाति जाट निवासी नांद तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर
उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर